

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प.04(02)ज0सं0/2020

जयपुर दिनांक : 23 OCT 2020

आदेश


जल संसाधन विभाग के निम्नांकित सहायक अभियन्ता का स्थानांतरण/पदस्थापन राज्यहित में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किये जाने के एतद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं :-

क्र.स	नाम	कहां से	कहां को
1.	श्री चौहल सिंह, सहायक अभियन्ता (आई सी-1993)	सहायक अभियन्ता, परवन परियोजना बांध उपखंड प्रथम, खंड प्रथम, झालावाड।	सहायक अभियन्ता एवं तक. सहा. वास्ते अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खंड चित्तौडगढ। (रिक्त पद पर)

उक्त अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से आज ही नवपदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


आज्ञा से



(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर को उनकी कार्यालय टिप्पणी प.1(3)अनिस/प्रास/मुअजसं/स्था./सअ/2020 दिनांक 23.10.2020 के क्रम में।
4. रक्षित पत्रावली।



(कैलाश चन्द मीणा)
अनुभागाधिकारी


APK
26/10/2020

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ(1)स्थाना/अनिस/अअप्रास/मुअजसं/2020/92 दिनांक 26.10.2020

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.04(02)ज0सं0/2020 दिनांक 23.10.2020 की प्रति निम्नलिखित को भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित कार्यालयों/अधिकारियों को अपने स्तर पर उपलब्ध कराते हुये पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें:-

1. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
4. उप निदेशक, (एम आई एस) एस. पी. एम. यू. एन एच पी, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. अधिशाषी अभियन्ता (प्रथम)।
6. श्री चोहल सिंह, सहायक अभियन्ता।
7. संस्थापन अधिकारी, स्थापन अनुभाग-प्रथम/गोपनीय अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।


(जितेन्द्र दीक्षित)

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा0 सहा0
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग
राजस्थान, जयपुर।